

नई दिल्ली, दिनांक 17 अगस्त, 2020

(असाधारण भाग I—खंड -1)  
अधिसूचना

**सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

एफ.संख्या.4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

| प्रतिभूति का नाम            | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में) |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 5.22% सरकारी प्रतिभूति 2025 | 15 जून, 2020        | 05-00-00                | 15 जून, 2025       | मूल्य          | विविध          | 12,000                      |
| 6.19% सरकारी प्रतिभूति 2034 | 01 जून, 2020        | 14-03-15                | 16 सितम्बर, 2034   | मूल्य          | विविध          | 11,000                      |
| 7.16% सरकारी प्रतिभूति 2050 | 20 अप्रैल, 2020     | 30-05-00                | 20 सितम्बर, 2050   | मूल्य          | विविध          | 7,000                       |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी स्टॉक, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 21 अगस्त, 2020 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**कब निर्गमित कारोबार**

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

**निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान**

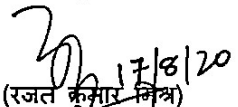
5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 21 अगस्त, 2020, को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 24 अगस्त, 2020 अर्थात् पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान**

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

| प्रतिभूति का नाम            | कूपन दर (%) | अंतिम कूपन भुगतान की तारीख | किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है | कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह) |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 5.22% सरकारी प्रतिभूति 2025 | 5.22        | नया स्टॉक                  | 23 अगस्त, 2020                      | 15 दिसंबर और 15 जून              |
| 6.19% सरकारी प्रतिभूति 2034 | 6.19        | नया स्टॉक                  | 23 अगस्त, 2020                      | 16 सितम्बर और 16 मार्च           |
| 7.16% सरकारी प्रतिभूति 2050 | 7.16        | नया स्टॉक                  | 23 अगस्त, 2020                      | 20 सितम्बर और 20 मार्च           |

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

  
(रजत कुमार मिश्र)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार